

26.04.2023 पत्रावली पेश हुयी। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार बंसल उपस्थित आये। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री वी.एस.चौहान (सिविल) राज्य की ओर से उपस्थित आये। 18ग प्रार्थना पत्र के द्वारा अपीलार्थी की ओर से यथास्थिति आदेश को अग्रिम तिथि तक बढ़ाये जाने की प्रार्थना की गयी। सुना। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पीठासीन अधिकारी महोदया अवकाश पर है। न्यायहित में तिथि स्थगित की गयी।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23.05.2023 को पेश हो। न्यायालय का आदेश दिनांकित 20.09.2022 अग्रिम नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

प्रभारी
अपर जिला जज,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल